आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड
(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय)
एनएएमएस बिल्डिंग, मेडिकल एन्क्लेव, अंसारी नगर, नई दिल्ली – 110029

फ़ा. सं. A-34012/1/2025-ESTB दिनांक: 28.11.2025

अधिसूचना

विषय :- वरिष्ठ सहायक के पद के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा - 2025

एनबीईएमएस द्वारा 30% कोटे के तहत वरिष्ठ सहायक के रिक्त पद पर पदोन्नति हेतु एनबीईएमएस के भर्ती नियमों और सेवा शर्तों के विनियमन में निहित प्रावधानों के अनुसार सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एलडीसीई) आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। एलडीसीई कोटा वेतन स्तर के तहत पदों का विवरण और पद के लिए भर्ती नियमों में निहित पात्रता मानदंडों आदि का विवरण इस प्रकार है: -

I. एलडीसीई कोटा के तहत पद

क्र. सं.	पदनाम	कोटा	पदों की सं.	वेतन मैट्रिक्स और वेतन स्तर
1	वरिष्ठ सहायक	30%	09	वेतन स्तर-7 (₹ 44900-142400/-)

II. एलडीसीई कोटा के तहत पदोन्नति के लिए पात्रता मानदंड :-

क्र. सं.	पदनाम	पात्रता मानदंड
1.	वरिष्ठ सहायक	(a) नवंबर 2014 के बाद से अगस्त 2019 तक सीधी भर्ती के आधार पर एनबीईएमएस में शामिल हुए कनिष्ठ सहायक (स्नातक योग्यता के साथ) को, एलडीसीई आयोजित करने के मानदंडों में छूट देकर, पहली ऐसी एलडीसीई के लिए विचाराधीन किया जाएगा। यह छूट उन कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए है जो 2019 में भर्ती नियमों में बदलाव के कारण नुकसान में हैं—अर्थात् बहु कौशल सहायक की पदानुक्रम में अगले पद के वेतन स्तर में बदलाव, योग्यता में बदलाव, और निवास अवधि को 07 वर्ष निर्धारित करना।

		(b) इसके पश्चात्, बहु कौशल सहायक जो पद पर पाँच वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हों और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से स्नातक की डिग्री धारक हों, वे पात्र होंगे। (c) जिन कर्मचारियों के एपीएआर में प्रतिकूल टिप्पणियाँ दर्ज हैं, या जिन्हें पिछले 05 वर्षों में कोई बड़ी/छोटी शास्ति (पेनल्टी) दी गई है, उन्हें सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के लिए पात्रता हेतु नहीं माना जाएगा। * मौजूदा पदधारियों को फीडर पद (अर्थात् बहु कौशल सहायक) पर नियमित आधार पर कार्यरत होने के लिए मौजूदा पात्रता सेवा को बनाए रखने हेतु **संरक्षण खंड** शामिल किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि पदोन्नति के लिए पात्रता सेवा को बढ़ाने का प्रस्ताव है और इस बदलाव से मौजूदा पदधारियों (अर्थात् एमएसए) की पदोन्नति प्रभावित होने की संभावना है।

III. रिक्तियों की संख्या: -

क्र. सं.	पदनाम	अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल
1	वरिष्ठ सहायक	08	01	-	09*

*01 पद **ब्लाइंडनेस और कम नज़र वाले**– B, LV. **बहरे और कम सुनने वाले** – D, HH. **लोकोमोटर डिसेबिलिटी** – OA, BA, OL, BL, OAL, CP, LC, DW, AAV, MDy. **ऑटिज़्म, इंटेलेक्चुअल और मानसिक बीमारी** – ASD, SLD, MI. **बहु-दिव्यांगता** के लिए चिन्हित और उपयुक्त है।

बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षण को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों तथा DEPwD की अधिसूचना सं. 38-16/2020-DD-III दिनांक 04 जनवरी 2021 और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया गया है। उन पदों के लिए दिव्यांगता की प्रकृति जिनमें PwBDs के लिए क्षैतिज आरक्षण निर्धारित किया गया है:

(a) **40% या उससे अधिक दिव्यांगजन को, यदि वे चाहें तो, परीक्षा में अपनी सहायता के लिए अपना स्क्राइब ला सकते हैं। RPwD अधिनियम, 2016 की धारा 2 (r) के तहत परिभाषित बेंचमार्क दिव्यांगता वाले किसी भी व्यक्ति को स्क्राइब की सुविधा दी जाएगी और यदि वे चाहें तो लिखने में स्पीड सहित कुछ लिमिटेशन होंगी। दृष्टिहीनता, लोकोमोटिव दिव्यांगता (दोनों भुजाओं से प्रभावित - BA) और सेरेब्रल पाल्सी की श्रेणी में आने वाले बेंचमार्क दिव्यांगजन के मामले में, यदि वे ऐसा चाहते हैं तो स्क्राइब की सुविधा दी जाएगी। बेंचमार्क दिव्यांगजन की अन्य श्रेणियों के मामले में, स्क्राइब का प्रावधान एक सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक से यह**

प्रमाणित करने वाला प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अनुमत होगा कि संबंधित व्यक्ति को लिखने में शारीरिक सीमा है, और उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब आवश्यक है। स्क्राइब की क्वालिफिकेशन परीक्षा देने वाले उम्मीदवार की क्वालिफिकेशन से कम से कम एक स्तर कम होनी चाहिए। जो बेंचमार्क दिव्यांगजन उम्मीदवार अपना स्क्राइब चुनते हैं, उन्हें परीक्षा के समय अनुलग्नक-II में दिए गए प्रोफ़ॉर्मा के अनुसार अपने स्क्राइब का विवरण जमा करना होगा। इसके अलावा, स्क्राइब को परीक्षा के समय एक वैध पहचान प्रमाण (पैन, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि) मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा। स्क्राइब के पहचान प्रमाण की एक फ़ोटोकॉपी, जिस पर उम्मीदवार और स्क्राइब दोनों के हस्ताक्षर हों, निर्धारित प्रोफ़ॉर्मा के साथ जमा करनी होगी। यदि बाद में यह पाया जाता है कि स्क्राइब की क्वालिफ़िकेशन उम्मीदवार द्वारा बताई गई क्वालिफ़िकेशन के अनुसार नहीं है, तो उम्मीदवार उस पद और उससे जुड़े दावों पर अपना हक़ खो देगा।

(b) PwBD (बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति) मामलों में परीक्षा के प्रति घंटे 20 मिनट का क्षतिपूरक समय अनुमत किया जाएगा। बिना स्क्राइब की सुविधा लेने वाले सभी दिव्यांग उम्मीदवारों को तीन घंटे की परीक्षा अवधि के लिए न्यूनतम एक घंटे का अतिरिक्त समय अनुमत किया जा सकता है। चालू वर्ष की रिक्तियों के संबंध में दिव्यांगजन के लिए आरक्षण नियमों के अनुसार दिया जाएगा। बिना उचित प्रवेश पत्र के किसी भी उम्मीदवार को सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

IV. परीक्षा की योजना

क्र. सं.	विषय	पेपर का प्रकार	अधिकतम अंक	अवधि
1.	सामान्य अध्ययन, सामान्य अंग्रेजी और भारत के संविधान एवं सरकारी कार्यप्रणाली की सामान्य जानकारी, एनबीईएमएस में कार्यप्रणाली और प्रक्रियाएं (जिसमें एनबीईएमएस के संगम ज्ञापन और नियम व विनियम आदि शामिल हैं), मात्रात्मक योग्यता, तर्कशक्ति और आरटीआई अधिनियम, 2005 का ज्ञान।	वस्तुनिष्ठ	100 (एनबीईएमएस की कार्यप्रणाली और नियमों के ज्ञान के लिए 50 अंक)	2 घंटे

2.	भारत सरकार के सचिवालय की कार्यविधि और अभ्यास, सामान्य वित्तीय और सेवा नियम, एनबीईएमएस में वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन, एनबीईएमएस अनुशासनात्मक एवं अपील नियम, एनबीईएमएस में यात्रा भत्ता नियम और भत्ते (प्रासंगिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए)।	वस्तुनिष्ठ	100	2 घंटे
3.	टिप्पणी और मसौदा लेखन, संक्षेपण लेखन	वर्णनात्मक	100	3 घंटे
4.	सेवा अभिलेख (या रिकॉर्ड) का मूल्यांकन		100	
		कुल अंक	**400**	

प्रश्न पत्र – 1 के लिए पाठ्यक्रम (अधिकतम 100 अंक)

इस प्रश्न पत्र में वर्तमान समय के रुचि और महत्व के विषयों को शामिल किया जाएगा। प्रश्न पंचवर्षीय योजनाओं की व्यापक मुख्य विशेषताओं, भारतीय अर्थव्यवस्था, और प्रमुख विकास योजनाओं के ज्ञान के साथ-साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के समसामयिक घटनाओं और एनबीईएमएस नियमों और प्रक्रियाओं की बुद्धिमत्तापूर्ण जागरूकता का परीक्षण करने के लिए निर्धारित किए जाएंगे।

निम्नलिखित पहलुओं का व्यापक ज्ञान भी अपेक्षित होगा:

(i) भारत के संविधान के सिद्धांत।

(ii) लोकसभा और राज्यसभा में कार्यप्रणाली और कार्य-संचालन के नियम।

(iii) भारत सरकार की मशीनरी का संगठन, मंत्रालयों, विभागों और संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त निकायों के बीच पदनाम और विषयों का आवंटन, और उनके आपसी संबंध।

(iv) आरटीआई अधिनियम, 2005

(v) एनबीईएमएस के नियम और प्रक्रियाएं (एनबीईएमएस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और नियम व विनियम आदि)। (कुल: 50 अंक)

प्रश्न पत्र-2 के लिए पाठ्यक्रम (अधिकतम 100 अंक)

इस प्रश्न पत्र का उद्देश्य सचिवालय, भारत सरकार और एनबीईएमएस में कार्य करने के तरीकों और प्रक्रियाओं का गहन और विस्तृत परीक्षण करना है। इसमें सामान्य वित्तीय नियमों और सेवा नियमों जैसे कि आचरण नियम, छुट्टी नियम, एलटीसी नियम, यात्रा भत्ता नियम आदि के विस्तृत ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा। संदर्भ पुस्तकों की एक सूची (जो कि हालांकि सम्पूर्ण नहीं है) अनुशंसित की गई है:

1. कार्यालय प्रक्रिया नियमावली (केंद्र सरकार/एनबीईएमएस) (नवीनतम संस्करण)
2. कार्यालय प्रक्रिया पर नोट्स (सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान द्वारा जारी)
3. संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग से संबंधित आदेशों की पुस्तिका (गृह मंत्रालय द्वारा जारी)
4. मूल नियमावली और अनुपूरक नियमावली
5. केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली
6. केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली
7. केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम तथा एनबीईएमएस के अनुशासनात्मक और अपील नियम
8. केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम
9. सीसीएस (एलटीसी) नियम
10. सामान्य वित्तीय नियमों का संकलन (संशोधित और विस्तृत)
11. वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के नियम (एनबीईएमएस) और भारत सरकार के अन्य निर्देश जिनका पालन एनबीईएमएस द्वारा किया जाता है
12. केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2021
13. सीसीएस (वेतन) नियम 2016 और वेतन निर्धारण नियम
14. एनबीईएमएस यात्रा भत्ता (टीए) नियम

प्रश्न पत्र - 3: टिप्पणी, मसौदा लेखन और संक्षेपण लेखन (अधिकतम 100 अंक)

- टिप्पणी और मसौदा लेखन के लिए 20 अंकों के 4 प्रश्न
- संक्षेपण लेखन के 20 अंकों का 1 प्रश्न

4. सेवा अभिलेख (या रिकॉर्ड) का मूल्यांकन - (अधिकतम 100 अंक)

A. पिछले 05 वर्षों की एपीएआर (वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट) के प्रति वर्ष के अंक (अधिकतम 45 अंक)

- "उत्कृष्टता" के लिए” - 09 अंक प्रति वर्ष
- "बहुत अच्छा" के लिए” - 07 अंक प्रति वर्ष
- "अच्छा" के लिए” - 05 अंक प्रति वर्ष
- "अच्छा" से नीचे” - 00 अंक प्रति वर्ष

B. <u>सराहना पत्र (अधिकतम 10 अंक)</u>

- अध्यक्ष द्वारा की गई सराहना के लिए - प्रत्येक के लिए 10 अंक
- कार्यकारी निदेशक द्वारा की गई सराहना के लिए- प्रत्येक के लिए 08 अंक
- अनुभाग के प्रभारी अधिकारी / प्रशासन के प्रभारी अधिकारी द्वारा की गई सराहना के लिए - प्रत्येक के लिए 05 अंक

C. <u>एनबीईएमएस में की गई सेवा के लिए अंक (अधिकतम 45 अंक)</u>

- एनबीईएमएस में प्रति वर्ष की गई सेवा के लिए 5 अंक

टिप्पणी: असाधारण छुट्टी, चिकित्सा आधार पर स्वीकृत छुट्टी को छोड़कर, एनबीईएमएस में सेवा के अंकों के उद्देश्य से सेवा अवधि के रूप में नहीं गिना जाएगा।

(a) न्यूनतम अर्हक अंक:

a) अनारक्षित श्रेणी के लिए - 50%
b) एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी के लिए - 40%

(b) न्यूनतम अर्हक अंक में कोई छूट नहीं दी जाएगी।
(c) गलत उत्तरों के लिए कोई ऋणात्मक अंकन नहीं होगा।

V. आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि

i) एक उम्मीदवार को केवल वेबसाइट www.natboard.edu.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से ही **02.12.2025 से 17.12.2025 (रात्रि 11:59 बजे तक)** ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसके बाद लिंक निष्क्रिय कर दिया जाएगा। उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले नीचे दिए गए निर्देशों के साथ-साथ विज्ञापन के साथ अपलोड किए गए सामान्य निर्देशों को भी अवश्य देखना चाहिए।

ii) किसी भी प्रकार की असुविधा या अंतिम समय की जल्दबाजी या अप्रत्याशित कठिनाइयों से बचने के लिए, उम्मीदवारों को अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना ऑनलाइन आवेदन जमा करने की सलाह दी जाती है।

iii) उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन का प्रिंटआउट लेना होगा और इसे दिनांक: **22.12.2025** अर्थात आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक अपने रिपोर्टिंग अधिकारी/अनुभाग के प्रभारी अधिकारी के माध्यम से **संयुक्त निदेशक (स्थापना अनुभाग), एनबीईएमएस** को जमा करना होगा।

VI. ई-प्रवेश पत्र

पात्रता संबंधी पूर्ण विवरण की जांच बाद में की जाएगी। इन परीक्षाओं के लिए प्रवेश दिए गए पात्र उम्मीदवारों के ई-प्रवेश पत्र, परीक्षा शुरू होने की तिथि से पहले, उचित समय पर एनबीईएमएस की वेबसाइट (https://natboard.edu.in) पर अपलोड किए जाएंगे, और पात्र उम्मीदवार उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवार को तब तक परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक उसके पास डाउनलोड किया गया ई-प्रवेश पत्र नहीं होगा। उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपना वैध और सक्रिय ई-मेल आईडी भरना आवश्यक है, क्योंकि एनबीईएमएस उनसे संपर्क करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग कर सकता है।

टिप्पणी: केवल उन्हीं उम्मीदवारों को परीक्षा में प्रवेश के लिए विचार किया जाएगा जिनका ऑनलाइन आवेदन का मुद्रित प्रति उचित माध्यम से अग्रेषित किया गया है। उन्हें आगे यह भी ध्यान देना चाहिए कि एनबीईएमएस किसी भी कारण से उनके आवेदन प्राप्त न होने या उसके प्राप्त होने में किसी भी देरी के लिए किसी भी स्थिति में जिम्मेदार नहीं होगा। आवेदन की मुद्रित प्रति में निर्धारित माध्यम से प्राप्त होने की निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त हुए किसी भी आवेदन पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा और सभी विलंबित आवेदनों को तत्काल खारिज कर दिया जाएगा। इसलिए, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संबंधित प्रविष्टियों को सत्यापित करने और आवेदन पत्र के अंत में पृष्ठांकन को पूरा करने के बाद, उनके आवेदन निर्धारित **अंतिम तिथि (अर्थात 22.12.2025)** को या उससे पहले, सही माध्यम से, अनुभाग को अग्रेषित कर दिए जाएँ।

VII. ऑनलाइन प्रश्न पत्र अभ्यावेदन पोर्टल

एनबीईएमएस ने उम्मीदवारों को परीक्षा के प्रश्न पत्र में पूछे गए प्रश्नों पर अभ्यावेदन देने के लिए 48 घंटे की समय-सीमा शुरू की है, जो परीक्षा की अगली तारीख से शुरू होगी। इस प्रकार का अभ्यावेदन ठोस प्रमाण और सहायक दस्तावेज़ों के साथ केवल ऑनलाइन प्रश्न पत्र अभ्यावेदन पोर्टल के माध्यम से ही जमा किया जाना चाहिए। ईमेल/डाक/हाथोंहाथ या किसी अन्य माध्यम से कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा और एनबीईएमएस इस संबंध में उम्मीदवारों के साथ किसी भी पत्राचार में शामिल नहीं होगा।

VIII. सामान्य शर्तें

(a) परीक्षा का माध्यम द्विभाषी (हिंदी और अंग्रेजी) होगा।

(b) वह उम्मीदवार जिसे बोर्ड द्वारा निम्नलिखित कृत्यों का दोषी पाया जाता है या पाया गया है, उसकी उम्मीदवारी तत्काल रद्द कर दी जाएगी:

- (i) किसी भी माध्यम से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करना, या
- (ii) प्रतिरूपण करना, या
- (iii) किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रतिरूपण करवाना, या
- (iv) मनगढ़ंत दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज जमा करना जिनके साथ छेड़छाड़ की गई हो, या
- (v) ऐसे बयान देना जो गलत या झूठे हों या जिनमें महत्वपूर्ण जानकारी छुपाई गई हो, या
- (vi) परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में किसी अन्य अनियमित या अनुचित साधन का सहारा लेना, या

(vii) परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का उपयोग करना, या

(viii) परीक्षा हॉल में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार करना, या

(ix) एनबीईएमएस या एजेंसी द्वारा परीक्षा आयोजित करने के लिए नियुक्त कर्मचारियों को परेशान करना या शारीरिक नुकसान पहुँचाना, या

(x) उम्मीदवारों को उनके प्रवेश प्रमाण पत्रों के साथ जारी किए गए किसी भी निर्देश का उल्लंघन करना, जो उन्हें परीक्षा देने की अनुमति देते हैं, या

(xi) पूर्ववर्ती खंड में निर्दिष्ट सभी या किसी भी कार्य को करने का प्रयास करना या, जैसा भी मामला हो, उसमें एनबीईएमएस की सहायता करना;उपरोक्त कार्यों के लिए, उम्मीदवार आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी होने के अतिरिक्त, निम्नलिखित के लिए भी उत्तरदायी हो सकता है:

1. उस परीक्षा से एनबीईएमएस द्वारा अयोग्य घोषित किया जाना जिसके लिए वह एक उम्मीदवार है; और/या
2. स्थायी रूप से या एक निर्दिष्ट अवधि के लिए वर्जित किया जाना:

(c) मौजूदा कर्मचारियों के लिए आवेदन पोर्टल खुलने की तिथि, पंजीकरण की अंतिम तिथि और एलडीसीई आयोजित करने की तिथि का विवरण एनबीईएमएस की वेबसाइट पर अद्यतन (अपडेट) किया जाएगा। सभी पात्र कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे एलडीसीई आयोजित करने और संबंधित जानकारी के लिए अलग से सूचना/अधिसूचना के प्रकाशन हेतु सतर्क रहें और नियमित रूप से वेबसाइट अर्थात www.natboard.edu.in देखते रहें।

(d) इस एलडीसीई/एलडीई से संबंधित उम्मीदवार की उत्तर पुस्तिका और परीक्षा के अन्य संबंधित कागजात/दस्तावेज़, आदि को एलडीसीई की तारीख से केवल छह महीने तक के लिए अभिलेख (रिकॉर्ड) के रूप में रखा जाएगा।

(e) एलडीसीई में प्रवेश अनंतिम है। यदि बाद में यह पाया जाता है कि उम्मीदवार पात्रता की किसी भी शर्त को पूरा नहीं करता/करती है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और इस तरह की रद्दीकरण के खिलाफ किसी भी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि प्रवेश पत्र जारी होने से उन्हें उन पद(पदों) पर पदोन्नति के लिए नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है जिसके लिए वे आवेदक हैं।

(f) उम्मीदवार को केवल अधिसूचित केंद्र पर ही परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। केंद्र/स्थान या परीक्षा की तारीख बदलने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

(g) उम्मीदवारों की मेधा सूची, ऊपर उल्लिखित लिखित विषय(यों) में प्राप्तांकों एवं परीक्षा योजना के आधार पर तैयार की जाएगी।

(h) उपर्युक्त पद के लिए पात्रता मानदंड की कट-ऑफ तिथि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि होगी। कट-ऑफ तिथि तक अनिवार्य योग्यता/सेवा में रहने वाले उम्मीदवार ही एलडीसीई में उपस्थित होने के पात्र होंगे।

(i) उम्मीदवार परीक्षा में उपस्थित होने के लिए कोई यात्रा भत्ता प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं।

(j) एलडीसीई कोटे के तहत उपरोक्त पद पर पदोन्नति के लिए अपेक्षित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले कर्मचारी, **17.12.2025** तक, एनबीईएमएस की वेबसाइट www.natboard.edu.in पर दिए गए लिंक के माध्यम से "e-citizen - Recruitment" शीर्षकों के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं।

संपर्क करें	
आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली	हेल्पलाइन: 011-45593000 ईमेल: recruitment@natboard.edu.in वेबसाइट: www.natboard.edu.in

अनुलग्नक– II

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (s) की परिभाषा के तहत कवर किए गए निर्दिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्ति, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2(r) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किए गए व्यक्ति, अर्थात 40% से कम दिव्यांगता वाले और लेखन में कठिनाई का सामना कर रहे व्यक्तियों द्वारा वचन पत्र।

मैं, ______________________________, ________________________ (दिव्यांगता/स्थिति की प्रकृति) का एक उम्मीदवार हूँ, जो ___________________________ (परीक्षा का नाम) के लिए अनुक्रमांक _________________________ के साथ ______________________________ (केंद्र का नाम) में उपस्थित हो रहा/रही हूँ।

2. मैं एतदद्वारा यह घोषित करता/करती हूँ कि ______________________ (स्क्राइब का नाम) उक्त परीक्षा देने के लिए अधोहस्ताक्षरी को स्क्राइब की सेवा प्रदान करेगा/करेगी।

3. मैं एतदद्वारा यह वचन देता/देती हूँ कि उसकी योग्यता ______________________ है। यदि बाद में यह पाया जाता है कि उसकी योग्यता अद्योहस्ताक्षरी द्वारा बताई गई योग्यता के अनुसार नहीं है और मेरी योग्यता से अधिक है, तो मैं पद या प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री और उससे जुड़े दावों पर अपना अधिकार खो दूँगा/दूँगी।

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

स्थान:

दिनांक:

नोट: निर्धारित प्रोफ़ॉर्मा में भारत सरकार की दिशानिर्देश के अनुसार समय-समय पर बदलाव किया जा सकता है।

* किसी भी भ्रांति की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण को वरीयता दी जाएगी।

NATIONAL BOARD OF EXAMINATIONS IN MEDICAL SCIENCES
राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान में परीक्षा बोर्ड